न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
329 / 2014	13.10.2014	16.02.2021

1 अमीलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर जिला अलवर (राज0)।

—: वादी

बनाम

1 गैन्दीमल पुत्र बरीद जाति सिंन्धी निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर जिला अलवर राज0।

2. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार साहब मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल प्रतिवादीगण

3. ऋशी पुत्र रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
4. रोहिताश पुत्र रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
5. मुकेश पुत्र रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
6 अनिता पुत्री रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
7 शान्ति देवी बेवा रमश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
8. हेमन्त पुत्र सुरेश ज जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
9. नकूल पुत्र सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
10 सिद्धार्थ पुत्र सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
11 मनशती पुत्र सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
12 सुदेश बेवा सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा —88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट 1955

—: निर्णय :—

दिनांक :— 16.02.2021

उपस्थिति :—
1— श्री सरजीत यादव, वकील वादीगण
2— प्रतिवादी अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:10:55 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 927 रकबा 2 बीधा [illegible] बिस्वा, [illegible]के हाल खसरा नम्बर 1987 रकबा 0.49, 1991 रकबा 0.27, 1991/3425 रकबा [illegible] है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है जो आराजी [illegible] वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक खसरा नम्बर 927 रकबा 02 बीधा 15 बिस्वा वादीगण के पिता व दादा ने जर्ये बैयनामा खरीद की थी जो बैयनामा दिनांक 20.12.[illegible] को तहरीर कराकर सब रजिस्ट्रार मुण्डावर के यहा तस्दीक कराया गया था। गैदीमल दत्तक पुत्र बरीदमल के

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

गोद चला गया था। बरीदमल के कोई सन्तान नही थी और गैदीमल, बरीदमल का वारिस था इसलिए उसने ही उक्त आराजी का रजिस्टर्ड बैयनामा कराया था। उक्त आराजी का बैयनामा का बैयनामा का इन्तकाल तो चढ गया, इन्तकाल सं0 902 दर्ज व स्वीकार हो चुका था लेकिन इन्तकाल दर्ज होने के बाद भी मिनवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम भी जमबान्दीयो में आननही किया, उक्त इन्तकाल खुलने के बाद ही समस्त जमाबन्दीयो में वादी व प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नही किया गया इसलिए मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने अधिकारो का रक्षार्थ उक्त आराजी का इन्तकाल दर्ज होने के बाद समस्त जमाबन्दीयात में अपने नाम का अंकन कराकर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है जिस हेतु दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादी सं0 के दत्तक पिता का नाम ही समस्त जमाबन्दीयात में चला आ रहा है इसलिए मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण, प्रतिवादी सं0 1 के पिता का नाम हजफ करा कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। इसलिए उक्त दुरूस्ती कराया जाकर समस्त जमाबन्दीयात में अंकन कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त विवादित आराजी पर वक्त बैयनामा सन 1973, से लगातार आज तक मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा प्रतिवादी सं 1 का उक्त आराजी से कोई संबंध वो सरोकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण सं0 का नाम राजस्व रिकोर्ड में होने के कारण नाजायज फायदा उठाना चाहता है तथा आराजी को दीगर जगह खुर्द–बुर्द व मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहता है। दिनांक 02.07.2014 को मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कार्य कर रहा था तो गाव के दीगर लोगो ने बताया की प्रतिवादी सं0 1 उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने व बेदखल करने क प्रयास में लगा हुआ है। मिन वादी ने उक्त समस्त राजस्व रिकोर्ड की नकले हासिल की तथा प्रतिवादी सं 02 से दुरूस्ती बाबत कहा तो स्पष्ट मना कर दिया व कहा की अदालत में प्रकरण दर्ज कराओ उसके वाद ही दुरूस्ती की जावेगी, इसलिए उक्त वाद पेश करना लाजिम आया है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 927 रकबा 2 बीधा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1987/0.49, 1991/0.27, 1991/3425 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम मुण्डावर में बैयनामा के आधार पर इन्तकाल सं0 902 दर्ज व स्वीकार किया गया है उसके बाद की समस्त जमबान्दीयात में वादी व तरतीबी – प्रतिवादीगण के नाम का अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 के दत्तक पिता नाम हजफ फरमाया जावे। आदेश दिये जावे इसी प्रकार मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाई गई, तलबी के पश्चात प्रतिवादी अनुपस्थित रहा। वादी ने [illegible] जमाबन्दी सम्वत 2059 प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वबत 2041 प्रदर्श–2, जमा[illegible] 2045 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2032 प्रदर्श–4, जमाबन्दी [illegible] क्षेत्रफल प्रदर्श–6, बैयनामा दिनांक 20.12.1973 प्रदर्श–7, इन्तकाल सं0 90[illegible] प्रदर्श–8 पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार [illegible]जस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

वकुलाय उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन उपरान्त वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र को साबित नही कर पाने की स्थिति में वादीगण के वाद को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा वाद साबिक नही कर पाने की स्थिति में वादीगण के वाद को खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16.2.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:10:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या	दायरा दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
329 / 2014	13.10.2014	16.02.2021

1 अमीलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर जिला अलवर (राज0)।

–: वादी

बनाम

1 गैन्दीमल पुत्र बरीद जाति सिंन्धी निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर जिला अलवर राज0।

2. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार साहब मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल प्रतिवादीगण

3. ऋशी पुत्र रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
4. रोहिताश पुत्र रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
5. मुकेश पुत्र रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
6 अनिता पुत्री रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
7 शान्ति देवी बेवा रमेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
8. हेमन्त पुत्र सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
9. नकूल पुत्र सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
10 सिद्धार्थ पुत्र सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
11 मनशती पुत्र सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
12 सुदेश बेवा सुरेश चन्द जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

–: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा –88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट 1955

–: पर्चा डिक्री :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:10:55 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 16.02.2021

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री [illegible] की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.02.2021 को [illegible] अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

०५६–

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

अतः वादीगण द्वारा वाद साबिक नही कर पाने की स्थिति में वादीगण के वाद को खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 16.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

16.2.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.08 10:10:55 IST
Reason: SelfAttested